भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1845
दिनांक 30.07.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम 2.0 की स्वीकृति में विलंब

†1845. श्री कुंदुरु रघुवीरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या जल जीवन मिशन (जेजेएम) 2.0 का प्रस्ताव अंतिम रूप ले चुका है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो मिशन को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं;
(ख) क्या जेजेएम 2.0 के अंतर्गत राज्यों को निधि आवंटन की स्वीकृति दिए जाने में हुए विलंब का प्रभाव पूरे देश में निवनिर्मित घरों, नई चिह्नित की गई बस्तियों और अब तक सुविधा से वंचित ग्रामीण परिवारों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) प्रदान किए जाने पर पड़ा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार द्वारा निधि जारी न होने के कारण सुविधा मिलने की प्रतीक्षा कर रहे पात्र परिवारों की संख्या संबंधी कोई आकलन किया गया है और यदि हाँ, तो तत्तसंबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या जेजेएम 2.0 की स्वीकृति लंबित होने के कारण ग्रामीण पेयजल की वर्तमान में चल रही परियोजनाएं बाधित न हों, क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अंतरिम वित्तीय सहायता या विशेष आवंटन प्रस्तावित है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) जेजेएम 2.0 के अंतर्गत मंत्रिमंडल की स्वीकृति, राज्यों के लिए निधि आवंटन जारी किए जाने और वित्तीय सहायता शुरू किए जाने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ङ): पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है।

भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए पांच वर्षों की अवधि में राज्यों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन को अगस्त 2019 में मंजूरी दी। हाल ही में, मार्च 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बढ़े हुए परिव्यय और जेजेएम 2.0 के तहत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक पुनर्गठित कार्यान्वयन ढांचे के साथ दिसंबर, 2028 तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) के विस्तार को मंजूरी दे दी है।

मिशन का कुल परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें कुल केंद्रीय सहायता 2.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.59 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।

जेजेएम की घोषणा के समय, देश में केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 18.07.2026 तक, लगभग 12.66 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.89 करोड़ (82.09%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना है।

जेजेएम 2.0 की मंजूरी के बाद, जेजेएम 2.0 के तहत राज्य-वार आवंटन और केंद्रीय सहायता अनुदान जारी करने की प्रक्रिया मार्च, 2026 में ही शुरू कर दी गई थी।
